



2026:AHC:66433

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

बी.एन.एस.एस. कि धारा 528 के अंतर्गत आवेदन संख्या - 11258/2026

राम आसरे @ रामाश्रय

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

..... विपक्षी(गण)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता

: पवन कुमार, रामप्यारे लाल श्रीवास्तव

विपक्षी(यों) के अधिवक्ता

: चंद्र भूषण मिश्रा, शासकीय अधिवक्ता, प्रेम शंकर

मिश्रा

न्यायालय संख्या - 77

माननीय न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव

1. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया।
2. धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत वर्तमान आवेदन, आरोप पत्र संख्या 2 दिनांक 25.03.2025, संज्ञान/समन आदेश दिनांक 28.07.2025 और गैर-जमानती वारंट दिनांक 21.01.2026 के साथ-साथ वाद संख्या 395 वर्ष 2025 (राज्य बनाम राम आसरे उपाध्याय) की संपूर्ण कार्यवाही को निरस्त करने हेतु दायर किया गया है। यह मामला वाद अपराध संख्या 613 वर्ष 2023, धारा 419, 420, 504, 506, 467, 468, 471 भारतीय दण्ड संहिता थाना मेजा, जिला प्रयागराज से उत्पन्न हुआ है, जो वर्तमान में विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट -10, प्रयागराज के न्यायालय में लंबित है।
3. प्राथमिकी के कथानक के साथ-साथ आक्षेपित संज्ञान आदेश, आरोप-पत्र और आदेश-पत्र के अवलोकन से, इस न्यायालय को ऐसा कोई आधार नहीं दिखता जहाँ इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता हो। वर्तमान आवेदन में ऐसा कोई आधार उपलब्ध प्रतीत नहीं



होता, जिसके आधार पर आक्षेपित संज्ञान आदेश, आरोप-पत्र और उक्त मामले की संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को रद्द किया जा सके।

4. तदनुसार, इस आवेदन के माध्यम से की गई प्रार्थना अस्वीकार की जाती है।

5. अंत में, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि आवेदक को उसके विरुद्ध जारी गैर-जमानती वारंट दिनांक 21.01.2026 के अनुपालन में संबंधित न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करने की अनुमति प्रदान की जाए, जिस पर विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता और विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रेम शंकर मिश्रा को कोई आपत्ति नहीं है।

6. उपरोक्त के आलोक में, वर्तमान आवेदन का अंतिम रूप से **निस्तारण** इस निर्देश के साथ किया जाता है कि आवेदक दिनांक 21.01.2026 के गैर-जमानती वारंट के अनुपालन में आज से तीन सप्ताह के भीतर संबंधित विद्वान न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो। आज से तीन सप्ताह की अवधि तक आवेदक के विरुद्ध कोई दमनात्मक कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जाएगी। उपर्युक्त तीन सप्ताह की अवधि समाप्त होने के पश्चात संबंधित विद्वान न्यायालय को विधि के अनुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

28 मार्च, 2026

(सौरभ श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति)